I/2195/2024

सत्यमेव जयते

संख्या : 2195 /जी0एस0(शिक्षा)/A11-155/2019

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बदशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक 29 अगस्त, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफीलियेशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक संख्या : 240114022929, दिनांक 19.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल** को बी0ए0–(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान), बी0कॉम0, बी0एससी0–(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) एवं बी0एससी0–(रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011(यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के साथ अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान)	120 सीट प्रति विषय	2024–25
		बी0कॉम0	120 सीट	
		बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	120 सीट प्रति विषय	
		बी0एससी0 (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	120 सीट प्रति विषय	

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 02/09/2024 12:40 pm

I/2195/2024

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थाणित करते हुए महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 29-08-2024 15:04:14

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2195 /जी0एस0(शिक्षा)/A11-155/2019 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0-

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 02/09/2024 12:40 pm